राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 156 जुलाई 2012 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल ही में गुवाहाटी के एक व्यस्त क्षेत्र में लगभग 20 व्यक्तियों द्वारा देर शाम को खुलेआम एक पब के बाहर एक युवा महिला के साथ छेड़खानी करने, मारपीट करने और उसके कपड़े उतारने की घटना ने देश को स्तब्ध और शर्मसार कर दिया है। पर उससे अधिक निंदनीय बात यह थी कि यद्यपि इस घटना को सैकड़ों लोगों ने देखा, परंतु एक भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसको रोकने के लिए पुलिस भी आधे घंटे देरी से आई। अब तक मुख्य अभियुक्त सहित 12 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। यह घटना बताती है कि अपराध के पीड़ितों को, विशेषकर महिलाओं को, पुलिस अथवा प्रशासन से कितना नाकाफी समर्थन मिलता है।

इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। असम के पुलिस महानिदेशक से जब यह पूछा गया था कि जब वीडियो में अपराधी साफ पहचाने जा रहे हैं तो उन्हें पकड़ने में देरी क्यों हो रही है, तो उनके द्वारा की गई टिप्पणी महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों को कम प्राथमिकता देना दिखाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस "एटीएम मशीन" नहीं है और तुरन्त न्याय नहीं दे सकती है। गुंडों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के बजाए उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की और अपने उदासीन पुलिस बल को बचाने का प्रयास किया।

इस बात को स्वीकार किया जाता है कि गुवाहाटी की घटना सड़क पर महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न का मामला है तथा यह दुराचार बढ़ रहा है क्योंकि अधिक संख्या में शिक्षित महिलाएं नौकरियों पर जाने लगी हैं।

इस घटना पर बहुत अधिक चिंतित राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या वानसुक सयीम के नेतृत्व में एक टीम जांच के लिए गुवाहाटी भेजी। बाद में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने सलाहकार निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ असम के मुख्यमंत्री

अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को मुख्यमंत्री को सौंप रही हैं और सदस्या प्रभावलकर देख रही हैं

चर्चा में

शर्मशार कर देने वाली रात

से मुलाकात की और जांच समिति द्वारा सिफारिशों के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट उन्हें सौंपी।

अध्यक्षा और सदस्या ने पीड़िता से भी मुलाकात की और उसे वित्तीय और चिकित्सा सुविधा और राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्य सचिव, असम के पुलिस महानिदेशक, असम के पुलिस महानिरीक्षक से भी मुलाकात की और विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा की।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक द्रुत कार्य करने वाले न्यायालय के द्वारा समयबद्ध तरीके से अपराधियों पर शीघ्र मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने की सिफारिश की और महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए रात के साढ़े दस बजे तक 128 पबों में महिला पुलिस के साथ विशेष पुलिस दल तैनात करने के लिए कहा। पुलिस को अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर जाए बिना इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि पीड़ित को तत्काल पुलिस सहायता मिल सके। पबों में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए और राज्य में 24 घंटे की महिला हैल्पलाईन होनी चाहिए और प्रत्येक पुलिस थाने में महिला प्रकोष्ठ होना चाहिए और उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो मौन दर्शक बनकर ऐसी घटना देखते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में कुछ को छोड़कर अनेक राज्यों में महिलाओं का शील भंग अभी भी भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के अंतर्गत आता है। यह जमानती और संज्ञेय अपराध है। अपराधियों को उनके अपराधों के अनुपात में दंडित करने का एकमात्र तरीका भारतीय दंड संहिता में संशोधन करना है जिससे कठोर दंड दिया जा सके और अपराध को गैर-जमानती बनाया जा सके ताकि ऐसा काम करने वाले किसी भी तरह के यौनाचार करने से पहले दोबारा सोचें।

महिला अधिकार अभियान

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर ने जयपुर में एक महिला अधिकार अभियान आयोजित किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करके उन्हें सशक्त बनाना था ताकि उन्हें अपने परिवार और समुदाय में न्याय और गरिमा मिल सके।

अभियान का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने कहा कि उनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदारी का सबसे बड़ा कारण उनका अपने अधिकारों और हकदारी के प्रति जानकारी का अभाव है। उन्होंने महिलाओं के लिए देश को एक सुरक्षित स्थान बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग के पहल के बारे में उल्लेख किया और महिलाओं को

अध्यक्षा श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए

श्रोताओं की एक झलक

सशक्त बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

महिलाओं को जिन विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है जैसे घरेलु हिंसा, दहेज के कारण होने वाली मौतें, अपहरण, उत्पीड़न, छेड़खानी आदि, उनको विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं आर्थिक रूप से दबी एक बड़ा तबका है और न्यायोचित सामाजिक पद्धति तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। उन्होंने पुनः कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के सम्पूर्ण विकास और सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा रूमी नाथ मामले में स्वतः संज्ञान लेना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक उग्र भीड़ द्वारा असम की एक विधायक श्रीमती रूमी नाथ पर हमला करने और बलात्कार करने के प्रयास की घटना की जांच करने के लिए सदस्या वानसुक सयीम के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की। समिति डॉ. रूमी नाथ से दिसपुर में उनके सरकारी आवास में मिली और यह पाया कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं और चेहरे पर सूजन है।

पुलिस महानिदेशक ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने करीमगंज के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखकर प्रथम सूचना रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियों के साथ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। समिति ने सिफारिश की है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और जन प्रतिनिधियों को उनकी सुरक्षा और बचाव हेतु समुचित पुलिस दल उपलब्ध किया जाना चाहिए।

सदस्या वानसुक सयीम सुश्री रूमी नाथ के साथ

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री शमीना शफीक जालंधर में पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'समुद्रपारीय विवाह' पर संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री शफीक ने कहा कि नवविवाहिताओं का परित्याग करना, पत्नियों को निराश करना, विश्वास का आपराधिक भंग करना, पतियों द्वारा निर्दयता से व्यवहार करना, दूसरा विवाह करना और व्यभिचार करना ऐसे आम अपराध हैं जो एन.आर.आई. (अनिवासी भारतीय) विवाह में किए जाते हैं जबकि भारत में आपराधिक जांच और मुकदमा धीमा हो सकता है, क्षेत्राधिकार आपत्तियां रुकावट डालती हैं और इससे दंड देने में विलम्ब होता है।

सदस्या शमीना शफीक 'समुद्रपारीय विवाह' पर सेमिनार में बोलते हुए

उन्होंने कहा कि एन.आर.आई. विवाह होने से पूर्व यह आवश्यक है कि एन.आर.आई. दूल्हे की जानकारी की जांच की जाए क्योंकि बाद में गड़बड़ी होने पर महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि ऐसे विवाह न केवल भारतीय कानूनी प्रथा से अपितु अन्य देश के और अधिक जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से शासित होते हैं।

सदस्या शमीना शफीक जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन 'आईक्यूआरए 2012' में भी शरीक हुई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों की लड़कियों को उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो उन्हें उपलब्ध हैं। बाद में, उन्होंने राजस्थान राज्य महिला आयोग के साथ बैठक की।

सीतापुर में अपने दौरे के दौरान सुश्री शफीक ने भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के सदस्यों के साथ बैठक की और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जिला महिला जेल का भी दौरा किया।

सुश्री शफीक रहीमाबाद में कॉलेज जाने वाली ग्रामीण लड़कियों की समस्याओं के बारे में आयोजित सेमिनार में उपस्थित हुई जहां महिलाओं ने कुछ दूर स्थित कॉलेजों में अपनी लड़कियों को भेजने के लिए पुरुष सदस्यों को समझाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने सीतापुर के कशरेला में महिला समाख्या के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।

● सदस्या चारू वलीखन्ना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा पर आयोजित सेमिनार में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री वलीखन्ना ने कहा कि अक्सर महिलाओं को भेदभाव, यौन उत्पीड़न और भद्दे ताने और कामुक फब्तियों का सामना करना पड़ता है। इस समय यद्यपि यौन उत्पीड़न से निबटने के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है परन्तु राष्ट्रीय महिला आयोग ने कानून का प्रारूप बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है और संसद द्वारा शीघ्र ही विधेयक पारित किया जाना है।

डॉ. चारू वलीखन्ना (बाएं से दूसरे) सम्मेलन में

सुश्री वलीखन्ना 'घरेलू कामगार दिवस - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 189' में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से अक्सर घरेलू कार्य 'वास्तविक कार्य' नहीं माना जाता है। घरेलु कामगारों पर 'भेड', 'नौकर', 'सहायक' का टैग लगाया जाता है और इस टैग के साथ कलंक जुड़ जाता है जिससे उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस मुद्दे पर गंभीरता से चिंतित है क्योंकि बड़ी संख्या में घरेलू कामगार महिलाएं हैं और उनका दुरुपयोग, शोषण और तस्करी होती है। उन्होंने लगभग 1000 घरेलू कामगार श्रोताओं से कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रस्तावित विधेयक में घरेलू कामगारों को 'कामगार' और 'घर' को 'कार्यस्थल' के रूप में शामिल किया है।

सम्मेलन में घरेलू कामगार

सुश्री वलीखन्ना दिल्ली महिला एसोसिएशन और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'बालिकाओं की समस्याएं और उनका समाधान' पर हुए कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इसमें भाग लेने वाली 100 से अधिक लड़कियां थीं जिनको घर पर निकट संबंधियों अथवा मां-बाप द्वारा 'यौन शोषण' करने की समस्याओं पर परामर्श दिया गया और उन्हें बताया गया कि कैसे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। उन्हें प्रेम विवाह, मां-बाप के साथ संबंध, रात को अकेले जाते समय लड़कियों की सुरक्षा, उन लड़कों का सत्यापन जिनके साथ वे बाहर जाती हैं, आदि जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर 'जादूगरनी के रूप में लक्षित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार' पर उत्तर और पश्चिम क्षेत्र परामर्श कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इसका समर्थन राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया था और विकास में कानून के लिए सहभागी और महिला जन अधिकार समिति ने अजमेर में आयोजि किया था।

सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर श्रोताओं को संबोधित करती हुई

इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री सामंत ने जादूगरनी करार देने से संबंधित चार बड़े कारणों का वर्णन किया। वे हैं वहनीय स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, पुलिस उदासीनता, महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता की कमी और वर्तमान कानून का पर्याप्त न होना। उन्होंने कहा कि अधिकांशतः निर्धन, हाशिए में पड़ी, अविवाहित महिलाओं, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को जादूगरनी करार दिया जाता है जिससे उनकी संपत्ति को हड़पा जा सके। सुश्री सामंत ने सुझाव दिया कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए और उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से पीड़ितों को सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारु वलीखन्ना और हेमलता खेरिया उस घटना की जांच करने के लिए हरियाणा में रिवाड़ी गई जहां एक महिला का तीन व्यक्तियों ने अपहरण करके बलात्कार किया।

वे हरियाणा में पटौदी गांव भी गई और उस घटना के बारे में पूछताछ की जिसमें एक युवा जोड़े को, जिन्होंने परिवार की इच्छा के विपरीत विवाह किया था, लड़की के भाई ने गोली मारकर जान से मार दिया था।

महत्वपूर्ण निर्णय

● बलात्कार के लिए कम से कम 7 वर्ष की सजा अनिवार्य।

बलात्कार के एक मामले में दो कैदियों को दी गई सजा कम करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय को फटकार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बलात्कारियों को सात वर्ष की न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए जिसे विशेष परिस्थितियों में कम किया जा सकता है। न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा दायर अपील, जिसमें किसी विशेष कारणों को रिकॉर्ड किए बिना दो बलात्कारियों की सजा कम करने के उच्च न्यायालय के निर्णय को उदार रुख अपनाने के कारण चुनौती दी गई है, को सही ठहराते हुए निर्णय दिया है।

● भ्रूण हत्या के विरुद्ध लड़ाई

राजस्थान सरकार ने 1994 के गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व तकनीक अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सात नए न्यायालयों की स्थापना को अधिसूचित किया है। न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। सरकार ने आगामी तीन महीनों के दौरान सोनोग्राफी मशीनों में 'मूक पर्यवेक्षक' लगाने के आदेश भी जारी किया है।

● दिल्ली में महिलाएं बिना हेलमेट के सवारी नहीं कर सकती हैं

दिल्ली राज्य सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दो पहियों वाले वाहनों में सवारी करने वाली सभी महिलाओं को हेलमेट पहनना होगा। उच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा के कानून में परिवर्तन करने के लिए दिल्ली सरकार को दो महीने का समय दिया है।

● बलात्कार के मामलों के लिए महिला पुलिस

दिल्ली पुलिस के इस निर्णय का, कि बलात्कार के मामलों की जांच केवल महिला पुलिस अधिकारी करेंगी, महिला कार्यकर्ताओं और नगर की लड़कियों ने अनुमोदन किया है क्योंकि किसी भी महिला के लिए पुरुषों से भरे कमरे में बलात्कार के मामले की रिपोर्ट करना बहुत ही अपमानजनक होता है। उन्हें विस्तार से बताने में हिचकिचाहट होती है जिससे उनका मामला कमजोर पड़ जाता है।

● पति या पत्नी की प्रतिष्ठा को कलंकित करना निर्दयता माना जाना चाहिए

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अपने पति या पत्नी की प्रतिष्ठा को कलंकित करना निर्दयता के समान है और इस प्रकार पीड़ित पति या पत्नी तलाक की डिक्री मांगने की पात्र बन जाती है।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।